न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 54/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/193

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली।		श्री गुमानसिंह पुत्र धनसिंह जाति पुरोहित निवासी– पुनायत तहसील व जिला पाली।

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :–

सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना
अप्रार्थी की ओर से अधिक्ता श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27.01.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत तहसीलदार, पाली द्वारा ग्राम पुनायता के खसरा संख्या 73 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा में आवंटन आदेश दिनांक 24.04.1976 निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जैर आवंटन आदेश तलब किया गया। प्रार्थी की ओर सरकारी पैरोकार व अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पुनायता में खसरा संख्या 73 रकबा 1.2383 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि अप्रार्थी गुमानसिंह पुत्र धनसिह जाति पुरोहित निवासी पुनायता तहसील व जिला पाली के नाम से गैर खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी गुमानसिंह पुत्र धनसिंह को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.04.1976 को आवंटित की गई थी। जो नामान्तरकरण संख्या 138 के द्वारा अप्रार्थी के नाम गैरखातेदारी दर्ज की गई। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का आदिनांक तक हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं गिरदावरी नकलानुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं रहा है, जिससे आज दिनांक तक अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने पर जैर आवंटन काबिले खारिज है। आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो आवंटित हेतु प्रतिबंधित भूमि होने के बावजूद अप्रार्थी को जैर आवंटन किया गया जो अविधिक होने से निरस्त होने योग्य है। अतः जैर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर जैर आवंटन अविधिक होने से खारिज फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन पर यह प्रकट आया कि तहसीलदार, पाली द्वारा प्रेषित आवंटन निरस्तीकरण के प्रकरण के सन्दर्भ में आवंटी गुमानसिंह के अधिवक्ता स्वयं द्वारा ग्राम पुनायता के विवादित आराजी संख्या 73 रकबा 1.2383 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते के आवंटन को निरस्त किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा यह साथ ही यह भी व्यक्त किया है कि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा जो राहत चाही गई है उसमें नामान्तरकरण संख्या 138 में वर्णित सभी आराजियात का आवंटन निरस्त

नहीं किया जाकर खसरा संख्या 73 रकबा 1.2383 हैक्टेयर जिसकी किस्म रास्ता है उसे ही अपास्त किया जाये।

समग्रतः उभयपक्षों की सहमति के आधार पर ग्राम पुनायता के खसरा संख्या 73 रकबा 1.2383 हैक्टेयर के आवंटन को निरस्त किया जाता है क्योंकि इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, का आवंटन किया जाना ही संभव नहीं है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम पुनायता के खसरा संख्या 73 रकबा 1.2383 हैक्टेयर को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज कर जैर आराजी को कब्जेराज लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **27.01.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कल्क्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली